

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं० 23 /2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2018

सा०का०नि०.....(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"62क	8545 11 00	भट्टियों के लिए प्रयुक्त तरह के इलेक्ट्रोड्स	कुछ नहीं".

(फा.सं. 334/04/2018-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं० 03/2017-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 87(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।